

माननीय सभापति एवं माननीय उप सभापति की भूमिका

बिहार विधान परिषद् के सभापति का पद प्रतिष्ठा, गौरव और प्राधिकार का पद होता है। सभापति अपने आप में एक संस्था होता है। बिहार विधान परिषद् के सभापति को उनके दायित्वों के निर्वहन की शक्तियां संविधान, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम तथा स्थापित परम्पराओं एवं मान्यताओं से प्राप्त हैं। सदन की बैठक की निष्पक्ष अध्यक्षता, सदन की व्यवस्था, गणपूर्ति, प्रक्रिया के अनुरूप सदन के संचालन की जिम्मेदारी सभापति की है। सदन में सभापति की भूमिका न्यायाधीश की भांति होती है, जिसे पक्ष-विपक्ष का तर्क सुनने के बाद स्वविवेक से निर्णय लेना होता है। सभापति परिषद् की कार्यवाहियों का संचालनकर्ता है, परिषद् परिसर का सुरक्षाकर्ता है, परिषद् की बैठकों की कार्यसूची का निर्धारणकर्ता है तथा परिषद् सदस्यों की सुख-सुविधा का ख्याल रखता है। सदन की बैठक की कार्यसूची के निर्धारण में वह कार्य-मंत्रणा समिति की सलाह लेता है, परिषद् परिसर की सुरक्षा में वाच एण्ड वार्ड स्टाफ तथा मार्शल की सहायता लेता है तथा संपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी के निर्वहन में परिषद् सचिवालय के कर्मियों की मदद लेता है। इस प्रकार विधान परिषद् का सभापति संवैधानिक, वैधानिक, प्रशासनिक एवं सहयोगी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इसलिए उसे सदन का अभिभावक और सदन का सेवक भी कहा जाता है।

बिहार विधान परिषद् के सभापति की भूमिका प्रत्येक वर्ष परिषद् के प्रथम सत्र के आरंभ में या विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचन के उपरांत होने वाले परिषद् के प्रथम सत्र में संविधान के अनुच्छेद- 176(1) के अधीन दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण के समय से ही प्रारंभ हो जाती है। वह परिषद् के सदस्यों को राज्यपाल द्वारा निर्धारित स्थान पर समवेत होने का अनुरोध करता है तथा अभिभाषण के पश्चात् अभिभाषणों में उल्लिखित विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करता है। राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रदान करता है। संशोधनों के लिए प्रारूप का निर्धारण करता है, तथा भाषणों के लिए समय का निर्धारण करता है।

(बि.वि.प. प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, नियम-17)

सभापति संविधान के अनुच्छेद 175(1) के अन्तर्गत राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लिखित विषयों पर विचार-विमर्श हेतु समय का निर्धारण कर सकता है तथा अनुच्छेद 175(2) के अन्तर्गत परिषद् के नाम संदेश प्राप्त करने पर सदन में सुनाता है तथा संदेश में उल्लिखित विषयों पर चर्चा हेतु प्रक्रिया का निर्धारण करता है। चर्चा हेतु प्रक्रिया के निर्धारण के लिए सभापति कार्य संचालन संबंधी नियमों में परिवर्तन कर सकता है अथवा किसी नियम विशेष को तत्समय के लिए निलंबित कर सकता है।

(बि.वि.प. प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, नियम-18 एवं 19)

सभापति का पद रिक्त रहने पर उप सभापति ही सभापति के दायित्वों का निर्वहन करता है। उप सभापति यदि किसी समिति के सदस्य होंगे तो वे ही उस समिति के अध्यक्ष होंगे।

(नियम-210)

सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में सदन संचालन करने की शक्ति

सदन की कार्यवाही का संचालन प्रक्रिया संबंधी नियमों के अनुसार होता है। सभापति का यह दायित्व होता है कि वह संवैधानिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया के नियमों के अनुरूप सदन का संचालन सुनिश्चित करे। सदन की कार्यवाहियों के समय यदि किसी समय कोई सदस्य यह समझता है

कि परिषद् में किसी प्रक्रिया संबंधी नियम की अवहेलना, अथवा उल्लंघन हो रहा है तो वह व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है। इसके लिए सदस्य को पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती है।

बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम- 68 में यह उल्लेख है कि (1) कोई सदस्य किसी भी समय, सभापति के निर्णय के लिए कोई नियमापति उपस्थित कर सकते हैं किन्तु ऐसा करने में वे केवल नियमापति की बात करने तक ही अपने को सीमित रखेंगे, और सभापति की सहमति के बिना किसी नियामापति पर विचार-विमर्श नहीं होगा।

सभापति सब नियमापतियों पर, जो उठाई जाएं, निर्णय देंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा।

सदन के विशेषाधिकार का संरक्षण

विधान परिषद् का सभापति सदन के अन्दर या बाहर अपने सदस्यों के विशेषाधिकार का संरक्षक होता है। ज्यों ही किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी सदस्य या सदन के विशेषाधिकार हनन का मामला उसके समक्ष लाया जाता है, वह तुरंत लगाये गये आरोपों की जांच करता है तथा दोषी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करता है।

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के संदर्भ में कार्यपालिका प्रधान की भूमिका

बिहार विधान परिषद् का कार्यालय सभापति के निदेश और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का उपयोग विधान परिषद् के सचिव के माध्यम से करता है। सदस्यों की सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी सभापति की होती है। सभापति अपने सचिवालयकर्मियों के माध्यम से सदस्यों के लिए ग्रंथालय, आवास, दूरभाष, वेतन तथा भत्तों की अदायगी की व्यवस्था सुनिश्चित करता है।

अध्यासीन सदस्यों के मनोनयन का अधिकार

प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने पर सभापति परिषद् के सदस्यों में से अधिक से अधिक चार अध्यासीन सदस्यों की एक तालिका मनोनीत करेंगे, जिनमें से कोई एक, सभापति तथा उप सभापति की अनुपस्थिति में, या दोनों की अनुपस्थिति में सचिव के अनुरोध पर परिषद् का सभापतित्व कर सकेंगे।

नियम-10 के खंड-2 के उप-नियम (1) के अधीन तालिका के मनोनीत सदस्य, जब एक नई तालिका मनोनीत नहीं हो जाती तब तक अपने पद पर रहेंगे।

जब कभी सभापति, उप सभापति और इस नियम के अधीन मनोनीत तालिका के सभी सदस्य अनुपस्थित हों तो सचिव द्वारा इसकी सूचना प्राप्त करने पर, संविधान के अनुच्छेद 184 के खंड (2) के अधीन तथा सरकार की ओर से प्रस्ताव होने और (उस पर संशोधन और वाद-विवाद स्वीकृत हुए बिना) सचिव द्वारा प्रश्न रखे जाने पर परिषद् किसी सदस्य को सभापतित्व करने के लिये कह सकती है।

सभापति का निर्णायक मत देने का अधिकार

भारत का संविधान के अनुच्छेद- 189(1) में यह कहा गया है कि 'इस संविधान में जैसा की उपबंधित है उसके सिवाय, किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन की बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण, अध्यक्ष या सभापति को अथवा इस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़ कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को बहुमत से किया जाएगा।

अध्यक्ष या सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किन्तु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।'

कार्य व्यवस्था

सत्र के आरंभ होने के पश्चात् परिषद् की बैठकें किन-किन तिथियों को होगी इसका निर्धारण सभापति करते हैं। किसी तिथि के लिए निर्धारित सरकारी कार्यों के वरीयता क्रम का निर्धारण सभापति सदन नेता के परामर्श से करते हैं (नियम-20(1))।

सदन की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

भारत का संविधान के अनुच्छेद -190(4) में यह उपबंध किया गया है कि यदि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके

सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा।

सूचनाएं

वैसे बिहार विधान परिषद् का कार्य हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि तथा उर्दू भाषा एवं लिपि में किये जाने का नियम, है परन्तु सभापति ऐसा समझते हैं कि कोई सदस्य हिन्दी भाषा में अपने विचार पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं तो वे उन्हें अपनी मातृभाषा में विचार रखने की अनुमति दे सकते हैं। (वहीं, नियम-41)

गिरफ्तारी, निरोध, सजा तथा गिरफ्तारी से मुक्त किया जाना

यदि बिहार विधान परिषद् का कोई सदस्य किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, या उसे कारावास का दण्ड दिया जाता है, या कार्यपालिका के किसी आदेश से नजरबंद किया जाता है तो ऐसे तथ्य की सूचना दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी द्वारा तुरंत सभापति को दिया जाना अनिवार्य है। किसी सदस्य की रिहाई की स्थिति में भी ऐसी सूचना का दिया जाना अनिवार्य है। (नियम-248,249)

सदन में सदस्यों के आचरण की निगरानी

सदन के कार्य को संचालन शांत एवं व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने के लिए सभापति को बहुत-सी शक्तियां प्राप्त हैं। कोई सदस्य सदन में तब तक नहीं बोल सकता जब तक पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे बोलने के लिए नहीं कहा जाता या बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। इस बात का फैसला सभापति करता है कि सदस्य किस क्रम में बोलेंगे। वह किसी भी सदस्य को अपना भाषण वहीं समाप्त करने के लिए आदेश दे सकता है और वैसे शब्द या अभिव्यक्ति को वापस लेने को कह सकता है कि उसकी अनुमति के बिना किसी सदस्य द्वारा कही गयी बातों को कार्यवाही-वृत्तान्त का अंश न माना जाय और असंसदीय पाई गयी किसी बात को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाय। जिन शब्दों या भाषण के अंशों को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकालने को आदेश दिया गया हो, उससे सम्बन्धित समाचारों को समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों द्वारा प्रकाशित किये जाने पर रोक है, क्योंकि सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार असीमित अधिकार नहीं है।

परिषद् प्रसीमा एवं दर्शक दीर्घा में प्रवेश

बिहार विधान परिषद् की प्रसीमाओं के सुरक्षा की जिम्मेदारी सभापति की होती है, इसलिए परिषद् सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभापति की पूर्वानुमति के बिना परिषद् की बैठकों के समय परिषद् के उन भागों और प्रसीमाओं में जो केवल सदस्यों के ही उपयोग के लिए रक्षित न हों, में भी प्रवेश नहीं कर सकता है। सभापति जब चाहें इन प्रसीमाओं से अनजान व्यक्तियों के निष्कासन का आदेश दे सकते हैं। (नियम- 74, 75)

सदन में समितियों के गठन का अधिकार

संसदीय परंपरा में कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समितियों का गठन माननीय सभापति महोदय द्वारा किया जाता है।

ऐसी समिति जो अन्यथा उपबंधित न हो परिषद् के कार्य से संबंधित किसी प्रयोजन के लिये परिषद् या सभापति द्वारा नियुक्त की जा सकती है।

उप सभापति को अधिकार दिया जाना

सभापति लिखित आदेश द्वारा इन नियमों के अधीन अपने समस्त अधिकार या कुछ अधिकार उप सभापति को दे सकते हैं तथा इस प्रकार दिये गये अधिकारों में सब कुछ को रद्द कर सकते हैं।